कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक– **152**/दो–12–07/2023 सूरजपुर, दिनांक 08 अगस्त, 2024

इस स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतीक्षा सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्वीपर)** के पद पर कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतन दर पर निम्नांकित शर्तो के अधीन पूर्णतः अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है :–

स. क्र.	नाम व पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग	पता	चयनित पद
1	2	3	4	5
1	श्री मनेश्वर पिता– श्री लगन साय	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	साधुराम विद्या मंदिर के सामने तुरियापारा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एच–17 सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ.ग.)– 497229	स्वीपर
2	श्री शंखलाल सिंह पिता– दरबारी सिंह	अनुसूचित जन जाति (मुक्त)	ग्राम– मसिरा, पोस्ट– सिरसी, तहसील– भैयाथान, जिला– सूरजपुर (छ.ग.)– 497231	स्वीपर

शर्तें:–

1. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
2. नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।
3. नवनियुक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन माह के भीतर सक्षम अधिकारी उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. नवनियुक्त कर्मचारी के चारित्रिक पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक से पूर्ववृत्त के चरित्र सत्यापन में अनुपयुक्त पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. नवनियुक्त कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के किसी भी पद पर अन्य विभाग में सीधे आवेदन पत्र प्रेषित नही कर सकेंगे तथा बिना पूर्वानुमति अग्रिम विद्याध्यन नही कर सकेंगे।
7. नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण दिनांक को शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व– प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा एवं उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, भविष्य में कार्य तथा आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित की सेवाएं बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
9. कर्मचारी को एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन तुल्य राशि का भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यदि अभ्यर्थी सेवा छोड़ना चाहे, तो एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा कर सेवा का त्याग कर सकते हैं।
10. नवनियुक्त कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में असत्य पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. नव नियुक्त कर्मचारी की पदस्थापना सिविल जिला सूरजपुर के अंतर्गत बाह्य न्यायालय में किया जा सकता है।

12. नवनियुक्त कर्मचारी को आदेश प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 23.07.2024 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी नियुक्ति एतद् द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

(गोविन्द नारायण जांगड़े)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सूरजपुर, दिनांक– 08 अगस्त, 2024

पृष्ठांकन क्रमांक–695/दो–12–07/2024

यथानिर्देशित प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग सूरजपुर/प्रतापपुर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला कोर्ट कमेटी सूरजपुर की ओर कार्यालयीन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. श्री मनेश्वर पिता– श्री लगन साय, पता– साधुराम विद्या मंदिर के सामने तुरियापारा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एच–17 सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ.ग.)– 497229 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री शंखलाल सिंह पिता– दरबारी सिंह, पता– ग्राम– मसिरा, पोस्ट– सिरसी, तहसील– भैयाथान, जिला– सूरजपुर (छ.ग.)– 497231 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08-8-24

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सूरजपुर (छ.ग.)